राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............1755/2014.............................. जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स माइक्रोमैक्स इन्फोर्मेटिक लिमिटेड, प्लॉट नं0 17, शर्मा कॉलोनी विस्तार, 22 गोदाम, जयपुर.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी– II, वाणिज्यिक कर, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज – I, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2014	खण्डपीठ श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष श्री मनोहर पुरी, सदस्य अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 180/14–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 11.09.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2014–15 (प्रथम तिमाही) के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.7.2014 से अनुमानित करापवंचित बिक्री पर सृजित मांग राशि रूपये 24,28,291/– में से रूपये 16,12,360/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी करते हुए शेष राशि पर स्थगन आदेश जारी किये जाने से इंकार किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विवेक सिंघल एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि उनके द्वारा बिक्रीत टेबलेट कम्प्यूटर सिस्टम की श्रेणी में आने तथा मोबाईल बैट्री व मोबाईल चार्जर भी मोबाईल पार्ट्स की श्रेणी में आने के कारण वेट अधिनियम की अनुसूची–IV के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 14 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 से सम्बन्धित प्रकरणों में सृजित मांग राशि की वसूली पर स्थगन हेतु प्रस्तुत की गई **अपील संख्या 1531, 1532** लगातार...............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या...........1755/2014.......................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स माइक्रोमैक्स इन्फोर्मेटिक लिमिटेड, प्लॉट नं0 17, शर्मा कॉलोनी विस्तार, 22 गोदाम, जयपुर.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी– II, वाणिज्यिक कर, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज.– I, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2014	व **1533/2014/जयपुर** में पारित आदेश दिनांक **10.09.2014** की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उक्त निर्णय में वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। अतः इस प्रकरण में भी सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने से स्थगन आदेश जारी किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर जोर दिया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन करने तथा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 10.09.2014 के अवलोकन के उपरान्त प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना**, प्रकरण में वसूली योग्य राशि **रूपये 7,35,364/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। (हस्ताक्षर) **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** (हस्ताक्षर) **अध्यक्ष** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	